

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिकारी)



भा

रत निर्वाचन आयोग ने 24 जून को, घोषणा की थी कि वह बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूचीयों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू करेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य में मतदाता सूचीयों का पुनरीक्षण करना है ताकि सभी पात्र मतदाताओं को शामिल किया जा सके और सभी आयात्र मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जा सके। अधिसूचना में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मतदाताओं की पात्रता और अयोग्यता संबंधी सर्वैधानिक प्रवायानों का इमानदारी से पालन करेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह प्रवायान भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के तहत स्पष्ट रूप से वर्णित है। अधिसूचना के अनुसार, 2003 के बाद से बिहार मतदाता सूची का यह पहला गहन पुनरीक्षण है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की अखंडता को बनाए रखना है। क्योंकि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने के लिए मूलभूत है। इसका उद्देश्य राज्य में ताकि लक्ष्य हासिल करना है। एक प्रत्येक पात्र का नामांकन हो और कोई भी मतदाता सूची से बाहर न रहे। दुसरा, कोई भी आयात्र मतदाता मतदाता सूची में न रहे। तीसरा, मूल/स्थानांतरित/अनुपस्थित मतदाताओं को हटाना। चुनाव आयोग ने इस गहन कवायद को तेजी से बढ़ावे शहरीकरण, लगातार हो रहे प्रवास, नए पात्र युवा मतदाताओं के जुड़ने, मोरों की कम रिपोर्टिंग और विदेशी अवैध प्रवायानों के नाम शामिल होने का विवाद देते हुए उचित रहता है। अधिसूचना में कहा गया है कि एसआईआर, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 21 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। अनुच्छेद 324, भारत में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21, निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देती है। एसआईआर

संविधान और मतदाता सूचीयों का गहन पुनरीक्षण

अधिसूचना में कहा गया कि एसआईआर, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 21 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। अनुच्छेद 324, भारत में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21, निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देती है।

के लिए अहंता तिथि 1 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। इसलिए, उस तिथि को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाल कोई भी व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा। जबकि अनुच्छेद 326 के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति मतदान के लिए पात्र है। धारा 16 मतदाता बनने से अयोग्य ठहराए जाने वाले व्यक्ति के मानदंड निर्धारित करती है। इन मानदंडों में भारत का नागरिक न होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, या भ्रष्ट अचारण या अन्य चुनावी अपराधों से संबंधित किसी भी कानून के तहत मतदान से अयोग्य होना शामिल है। चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर सत्यापन करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को नियुक्त किया है। इसमें बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण शामिल होगा, जो पात्र या अपात्र मतदाताओं की पहचान करेगा। इसने मौजूदा मतदाताओं के लिए पहले से भरे हुए गणना फॉर्म प्रिंट करने के लिए निवाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को नामित किया है। बीएलओ अपने दौरे के दौरान गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें सहायक दस्तावेजों के साथ एकत्र करेंगे। ये फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। वैकल्पिक रूप से, मतदाता इन फॉर्म को संवर्धित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन भरकर अपलोड कर सकते हैं। मतदाता गोपनीयता बनाए रखते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, अधिसूचना में बहुत गति है कि पात्र मतदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज अपलोड किए जाएं। ये केवल अधिकृत चुनाव अधिकारियों के लिए ही सुलभ होंगे। बिहार में आयोग अपनी कार्यवाही लगभग समाप्त कर चुका है।

चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से क्रिया भागीदारी का आहान किया है और उनसे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ स्ट्रीट एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अग्रह किया है। इस तहत यदि कोई विसंगतियां हों, तो उन्हें तैयारी के चरण में ही हल कर लिया जाएगा, जिससे दावे, आपत्तियां और

अपील दायर करने की घटनाओं में कमी आएगी। दावे और आपत्तियों कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल दायर कर सकता है। इन शिकायतों का मूल्यांकन सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सभी दावों और आपत्तियों के

याचिका में, एडीआर ने चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को रह करने की मांग की है। यह तक दिया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता



निराकरण के बाद चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी और चुनाव आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृत मतदाताओं को प्रतिविवरित करेंगे और उन्हें सहायक दस्तावेजों के साथ एकत्र करेंगे। ये फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। वैकल्पिक रूप से, मतदाता इन फॉर्म को संवर्धित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन भरकर अपलोड कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से क्रिया भागीदारी का आहान किया है और उनसे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ स्ट्रीट एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अग्रह किया है। इस तहत यदि कोई विसंगतियां हों, तो उन्हें तैयारी के चरण में ही हल कर लिया जाएगा, जिससे दावे, आपत्तियां और

पंजीकरण के बाद चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी और चुनाव आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृत मतदाताओं को प्रतिविवरित करेंगे। यह भी तक दिया गया है कि आयोग ने मतदाता प्रतिविवरित करने का भार राज्य से व्यक्तिगत नागरिकों पर अनुच्छेद रूप से स्थानांतरित कर दिया है। आधार की शुरुआत में, एसोसिएशन फॉर डेवेलपमेंट रिफॉर्म्स, स्वराज पार्टी के सदस्यों और कांगड़े ने एक बूथ इनके द्वारा जारी किए हैं। इनके द्वारा जारी किए जाएं। ये केवल अधिकृत चुनाव अधिकारियों के लिए ही सुलभ होंगे। वैकल्पिक रूप से स्थानांतरित कर दिया है। आधार और राजनांतरित दलों की प्रतिक्रिया पूरी हो गई है। आधार की शुरुआत में आपनी प्रतिक्रिया पूरी कर ली है। साथ ही आयोग ने यह घोषणा की है कि यही प्रक्रिया देश के अन्य राज्यों में भी अपनाई जाएगी। अब देखा दिलचस्प होगा कि अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पूरी हो गी।

6 जुलाई को, चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एसआईआर का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। 7 जुलाई 2025 को, सर्वोच्च

विदेशी बयानबाजी बनाम भारतीय अर्थव्यवस्था का सच

आर्थिकी



सपना सी.पी. साहू 'स्वर्गित'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मूर्त' कहने और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा इस बयान का समर्थन करने का दावा, तथा से विविकूल परे हैं। यह बयानबाजी वैधिक अंकड़ों के सामने पूरी तरह से भ्रामक है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ावा रखने वाली एवं अतिरिक्त प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद एवं (आईएमएफ) और विदेशी बैंकों द्वारा स्पष्ट अर्थव्यवस्था को लगातार उच्च बताया है। आईएमएफ के अनुसार, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वैधिक औसत (3 प्रतिशत) और विकसित देशों के साथ समाप्त करने का अधिक है।

यह समझना जरूरी है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देशों को भले ही आलोचना करने के बाद, जहाँ कई विकसित देशों के महानांगों की बात नहीं रही है, वहें भारत ने शानदार रिकॉर्ड दिखाई दी है।

विपक्ष का यह दावा है कि केंद्र सरकार की नीतियों ने व्यापक रूप से व्यापक विपक्ष के लिए बूथ स्ट्रीट एजेंट (बीएलए) को प्रतिविवरित कर दिया है। इस तहत यदि कोई विसंगतियां हों, तो उन्हें तैयारी के चरण में ही हल कर दिया जाएगा। यह दावा है कि एसआईआर का एक विपक्ष के लिए व्यापक रूप से स्थानांतरित होने का अग्रह किया जाएगा।

विपक्ष का यह दावा है कि आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था की गोद में एक मक्की भी नहीं थी, सिवाय उनके अपेक्षित के लिए उपलब्ध रहती है, मानो वे किसी अद्वैत धारा से बंधी कठोरता हों और उनका जीवन तरह से अपेक्षित हो। उनकी वैधिकी और विकासी व्यापकता और गप्ता विपक्ष के लिए उपलब्ध होने के बावजूद, यह एक विपक्ष के लिए उपलब्ध होने की जीवनी व्यापकता और विकासी व्यापकता है

